



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS

No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385

फैक्स/FAX:040-27817275



आजादी का
अमृत महोत्सव

सं.ANPAY/NPS Corr

दिनांक: 25.05.2023

सेवा में,

1. वे.ले.का(अ.श्रे) ई.एम.ई, सिकंदराबाद।
2. वे.ले.का(अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद।
3. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय(थलसेना), वैजाग।
4. सभी उप-कार्यालय।
5. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग।

महत्वपूर्ण परिपत्र

विषय: सी.सी.एस (एन.पी.एस. का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प फॉर्म जमा किया जाना।

@@@@@

सी.सी.एस (एन.पी.एस. का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन शामिल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उनकी मृत्यु अथवा विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से बाहर होने की स्थिति में या अमान्य होने पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी सेवा में शामिल होने के समय फार्म 1 में एक विकल्प का प्रयोग करना होगा। उन्हें अभिलेख के लिए कार्यालय प्रमुख को फार्म 1 के साथ फार्म 2 में परिवार का विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसे केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण एजेंसी (CRA) को आगे भेजा जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, अनुरोध है कि र.ले.वि के कर्मचारियों में सभी एन.पी.एस अभिदाताओं से सी.सी.एस (एन.पी.एस. का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प फॉर्म प्राप्त करें और दिनांक 26.05.2023 तक इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

कृपया परम अग्रता प्रदान करें।

ग्रूप अधिकारी(प्रशा) ने देख लिया है।

(श्रीनिवास राव वुलिचि)

लेखा अधिकारी(प्रशा/वेतन)